छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक– 22/रेरा/2018/676 रायपुर, दिनाँक 03/11/2018

//परिपत्र//

विषय :– रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति अद्यतन करने के संबंध में।

---00---

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 में प्रमोटर्स द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से संबंधित कतिपय जानकारियों/विवरणों के त्रैमासिक रूप से अद्यतन किये जाने संबंधी प्रावधान उपबंधित किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रथम त्रैमासिक अपडेशन हेतु दिनाँक 31.10.2018 तक की समयावधि निर्धारित की गई थी।

2. प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य प्राप्त हुए हैं कि छत्तीसगढ़ रेरा अंतर्गत रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु उक्तानुसार अपडेशन, प्रथम त्रैमासिक अपडेशन होने के कारण प्रमोटर्स के समक्ष कुछ व्यवहारिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हैं। अतः प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम त्रैमासिक अपडेशन हेतु पूर्व नियत समयावधि में संशोधन करते हुए दिनाँक 30.11.2018 तक की वृद्धि की जाती है। उक्त संशोधित समयावधि के भीतर जानकारियाँ अद्यतन न करने की स्थिति में परिपत्र क्रमांक–17 की कंडिका 4 में वर्णित विलंब शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

3. ऑनलाईन अपडेशन से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान हेतु श्री सूर्यकांत श्रीवास्तव, सहायक प्रोग्रामर (मो.नं.–8109432001) से संपर्क किया जा सकेगा।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

03/11/18.

(अजय कुमार अग्रवाल)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.